महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain
(An autonomous Organization under Ministry of Education, Govt. of India)

17-3/2026(प्र/वि)/मसारावेविप्र/ दिनांक 15-06-2026

कार्यालयीन परिपत्र – 2034

समस्त पाठशाला प्रभारी / गुरु-शिष्य परंपरा इकाई गुरु हेतु

विषय :- छात्र सुरक्षा की दृष्टि से वस्तुओं के सुरक्षित रख-रखाव एवं नियंत्रण के संबंध में।

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए समस्त पाठशाला प्रभारियों, कार्यालयीन कर्मचारियों, अध्यापकों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें :-

1. रसोईघर अथवा अन्य किसी स्थान पर उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी समस्त वस्तुएँ, जिनसे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति अथवा दुर्घटना की संभावना हो, उन्हें छात्रों की पहुँच से पूर्णतः दूर रखा जाए।
2. कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत उक्त वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर ताला लगाकर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. प्रतिदिन संबंधित कर्मचारी द्वारा इन वस्तुओं की गणना की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी वस्तु अनधिकृत रूप से अपने निर्धारित स्थान से बाहर न हो।
4. यदि किसी प्रकार की वस्तु अनुपलब्ध पाई जाती है, तो उसकी तत्काल सूचना पाठशाला प्रभारी को दी जाए तथा आवश्यकतानुसार समस्त छात्रों के बैग एवं अन्य स्थान पर तलाशी लेकर वस्तु की खोज सुनिश्चित की जाए।
5. परिसर में यदि कोई धारदार आदि वस्तु इधर-उधर पाई जाती है, तो सुरक्षा कर्मी अथवा संबंधित कर्मचारी द्वारा उसे तत्काल उसके निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रखते हुए ताला लगाकर सुरक्षित किया जाए।
6. एसिड अथवा अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग यथासंभव न किया जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उनका उपयोग आवश्यक हो, तो उपयोग उपरांत उन्हें सुरक्षित रूप से ताला लगाकर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। शौचालय सफाई हेतु प्रयुक्त पदार्थ जैसे **हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल आदि अन्य रासायनिक पदार्थ** छात्रों की पहुँच से पूर्णतः दूर एवं सुरक्षित स्थान पर रखे जाएँ।

निम्नलिखित वस्तुओं का विशेष रूप से सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए :-

- रसोईघर में प्रयुक्त वस्तुएँ :-
  1. बड़ी एवं छोटी करछी
  2. सब्जी काटने के उपकरण, चाकू आदि
  3. गैस लाइटर, माचिस
  4. तवा, चिमटा एवं अन्य धातु उपकरण जिनके प्रहार से चोंट लग सके।
- खेल सामग्री :-
  1. क्रिकेट बैट
  2. विकेट (स्टम्प्स) आदि
- रासायनिक एवं सफाई संबंधी पदार्थ :-
  1. टॉयलेट क्लीनर जैसे फिनाइल, हार्पिक एसिड आधारित क्लीनर।
  2. ब्लीचिंग पाउडर
  3. डिटर्जेंट एवं अन्य रासायनिक पदार्थ

किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा संबंधी चूक की स्थिति में संबंधित प्रभारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

15/6

(प्रो.विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपिः-

1. सहायक निदेशक (शै) को सूचनार्थ।
2. समस्त पाठशाला एवं गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
3. कार्यालय आदेश पत्रावली